न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 37/2023 बउनवानी श्रीमति संतोष गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली निवासी मकान नम्बर 185/89, प्रताप नगर जयपुर

GCMS No-2023/74

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
31.7.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.3.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. ख0न0 2107, 4845 सड़क से कितनी दूरी पर है की सूचना दिलवायी जावे।
2. ख0न0 2107,4845 का कन्वर्जन नही हुआ है तो इस पर निर्माण कार्य क्यो किया हुआ है। यह सड़क से कितनी दूरी पर है।
3. 1995 का नक्शा जिसमे ख0न0 1423/1 व रोड़ एक साथ दिखाई दे कई बार लिखने पर भी नक्शा नही दिया गया है।
4. प्रार्थी के पत्र कमांक 21 दिनांक 9.12.2022 पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रति।
5. प्रार्थी के पत्र कमांक 23 दिनांक 28.12.2022 पर की गयी कार्यवाही की प्र0प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के जवाब नोटिस कमांक/आरटीआई/2023/40 दिनांक 31.7.2023 से अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना का संबंध तहसील बौंली से नही होने, बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने से अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। शेष बिन्दु संख्या 3,5 की सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 40 दिनांक 31.7.2023 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.3..2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,3,5 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाये जाने की पुष्टि तहसीलदार बौंली के पत्रांक 27 दिनांक 27.12.2022 एवं 40 दिनांक 31.7.2023 से हो जाती है किन्तु बिन्दु संख्या 1, 4 की पूर्ण सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार बिन्दु संख्या 1, 4 की सूचना भी अपीलान्ट को 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:39:54 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner